Registration No. SUM. 192/2022

<u>आरक्षी केन्द्र मृगवास, तहसील–कुंभराज, जिला गुना बनाम रमेश लोधा।</u>

## –: निर्णय :–

## (आज दिनांक 12.10.2022 को घोषित किया गया)

**01.** अभियुक्त रमेश पुत्र रामलाल लोधा, द्वारा अपराध की स्वैच्छिक एवं स्पष्ट स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे धारा– 34(1)(क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

## दण्डादेश या अन्य अंतिम आदेश

**01.** दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों, को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा– 34 (1) (क) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 के अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000/– रूपये ( एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम करने पर अभियुक्त को 10 दिन का साधारण कारावास भुगताया जावे।

**02.** प्रकरण में जप्तशुदा 4 लीटर शराब अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

सही/–
(सुश्री चेतना दशोरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चांचौडा, जिला गुना म0प्र0